प्रकरण सं0–75 / 2020 अपील / धारा 75 / एलआरएक्ट / कोटा

प्रहलाद गुंजल बनाम राज0 सरकार

25.11.2021 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलार्थी एपं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रिव्यू प्रार्थना पत्र सं0 23/2010 दिनांक 12.1.2011 को स्वीकार किये जाने पर अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा प्रश्नगत अपील प्रकरण सं0 525/2007 मे पारित निर्णय दिनांक 18.10.2010 अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को जवाब एंव साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाकर पक्षकारान को दिनांक 22.11.2010 को अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रकरण मे अपीलांट की ओर से "निर्णय दिनांक 18.10.2010 को संशोधित कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.6.2007 को निरस्त किया जाता है" अंकित किये जाने हेतु रिव्यू प्रार्थना पत्र सं0 23/10 पेश किया गया जिसे 12.1.2011 को स्वीकार कर अपील को पुनः दर्ज किया गया है। प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पंक्षकारान सुनी जाकर बहस पर मनन किया। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा प्रश्नगत अपील प्रकरण सं0 525/2007 मे पारित निर्णय दिनांक 18.10.2010 अनुसार "अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को जवाब एंव साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाकर पक्षकारान को दिनांक 22.11.2010 को अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है"। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.6.2007 को निरस्त किया जाकर उक्त विवेचित रिमांड आदेश पारित किया जाना न्यायोचित था। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के हस्तगत अपील प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 18.10..2010 मे उक्त तथ्य का अभाव रहा है जिसके लिये अपीलांट की ओर से रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसे स्वीकार कर पुनः अपील को दर्ज किया गया है। अपील प्रकरण मे पूर्व मे पारित निर्णय 18.10.2010 मे "जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.6.2007 समाविष्ट/अंकन किये जाने से प्रकरण मे पूर्व मे पारित निर्णय मे किसी प्रकार के विपरीत प्रभाव पडने की कतई गुजाइंश नही है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रकरण मे पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 18.10.2010 मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। के उपरांत **"अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.6.2007 निरस्त किया जाता है"**। समाविष्ट/अंकित किया जाकर निर्णय के शेष अंश यथावत रखे जाते है। यह आदेश प्रकरण मे पूर्व मे पारित निर्णय 18.10.2010 का पार्ट माना जाकर निर्णय के साथ पढे जाने के आदेश दिये जाते है। अपील प्रकरण इसी स्टेज पर तदानुसार निर्णित होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

प्रहलाद गुंजल बनाम सरकार

(16)

अपील संख्या ... 525/2007

18.10.2010	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण उपस्थित । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बन्द कर उक्त पत्रावली बहस में रखते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे । रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी अपीलान्ट को बार–बार जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया परन्तु उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जो आदेश संचिका से साबित है । अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर प्रकरण को लम्बा करने की नीयत से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को बहस में रखते हुए उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनकर निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक. 12.06.2007 बहाल रखा जावे । हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन सम्बन्धी रिकॉर्ड तलब किया एंव अपीलान्ट से जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.10.2005 को अपीलान्ट का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बन्द करते हुए प्रकरण सीधे ही बहस में रख दिया जो अधीनस्थ न्यायालय की आदेश संचिका से साबित है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वह पक्षकारान को न्यायहित में अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करते । पक्षकारान काश्तकार व्यक्ति हैं जिन्हें कानून की ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है । इस प्रकार न्यायालयों का भी दायित्व है कि पक्षकारान को अनावश्यक मुकदमेंबाजी में न उलझना पडे इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा पक्षकारान जो काश्तकार व्यक्ति हैं को उचित लाभ प्राप्त हो । हम प्रस्तुत प्रकरण को न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वह अपीलान्ट को जवाब एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें । अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को जवाब एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे । पक्षकारान दिनांक 22.11.2010 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो । पत्रावली दाखिल दफ्तर हो । (डी0 एल0 मीणा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा